

# लॉकडाउन 3.0 ज़ोन के बारे में जानें

4 मई, 2020 से प्रभावी



## ग्रीन ज़ोन

ऐसे जिले जहां या तो अब तक संक्रमण का कोई भी कन्फर्म मामला नहीं आया है अथवा पिछले 21 दिनों में कोई कन्फर्म मामला सामने नहीं आया है



## रेड ज़ोन

जिलों का वर्गीकरण करते समय सक्रिय मामलों की कुल संख्या, कन्फर्म मामले दोगुनी होने की दर, जिलों से प्राप्त कुल टेस्टिंग और निगरानी सुविधा संबंधी जानकारियों को ध्यान में रखा जाएगा



## ऑरेंज ज़ोन

वे जिले, जिन्हें न तो रेड ज़ोन और न ही ग्रीन ज़ोन के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्हें ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा




## कंटेनमेंट ज़ोन

कंटेनमेंट ज़ोन को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर परिभाषित किया जाएगा

जिलों के ज़ोन में वर्गीकरण को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर सप्ताह या जरूरत के अनुसार साझा किया जाएगा

# लॉकडाउन 3.0 कन्टेनमेंट ज़ोन के बारे में जानें

4 मई, 2020 से प्रभावी



कन्टेनमेंट ज़ोन



जानकारी



कन्टेनमेंट ज़ोन को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर परिभाषित किया जाएगा



स्थानीय प्राधिकारी निवासियों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करेंगे



इस ज़ोन के लिए गहन निगरानी प्रोटोकॉल होंगे जिनमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, घर-घर की निगरानी, व्यक्तियों के होम / संस्थागत क्वारंटाइन शामिल हैं



आपात चिकित्सा स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर इस ज़ोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण

# लॉकडाउन 3.0 पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियां

4 मई, 2020 से प्रभावी



रेड ज़ोन



ऑरेंज ज़ोन



ग्रीन ज़ोन



हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से  
अंतर-राज्यीय यात्रा



स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान



होटल और रेस्टोरेंट सहित आतिथ्य सेवाएं



बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की जगहें जैसे सिनेमा हॉल, मॉल,  
जिम, खेल परिसर आदि



सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं;  
धार्मिक स्थल



चुनिंदा उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की  
आवाजाही को अनुमति

# लॉकडाउन 3.0 पूरे देश में लोगों की सुरक्षा के उपाय

4 मई, 2020 से प्रभावी



रेड ज़ोन



ऑरेंज ज़ोन



ग्रीन ज़ोन



शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा



सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के स्थानीय अधिकारी आदेश जारी करेंगे



65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा



रेड, ऑरेंज, ग्रीन ज़ोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ चलाने की अनुमति



# लॉकडाउन 3.0 रेड ज़ोन में प्रतिबंधित गतिविधियां (1/5)

4 मई, 2020 से प्रभावी

रेड ज़ोन



अनुमति नहीं



देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां

## अन्य प्रतिबंधित गतिविधियां



साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा का चलाना



टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स का परिचालन



बसों का जिलों के भीतर और अंतर जिला परिचालन



मॉल, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून



# लॉकडाउन 3.0 रेड ज़ोन में व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति (2/5)



4 मई, 2020 से प्रभावी

\*कन्टेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं

रेड ज़ोन



अनुमति

## स्वीकृत गतिविधियों के लिए लोगों और वाहनों की आवाजाही को अनुमति



4-पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्ति (ड्राइवर के अलावा)



2-पहिया वाहनों के मामले में पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं बिठाने की शर्त



## लॉकडाउन 3.0

# रेड ज़ोन में औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति (शहरी क्षेत्र) (3/5)

4 मई, 2020 से प्रभावी \*कन्टेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं

रेड ज़ोन



अनुमति



एसईजेड, निर्यात केंद्रित इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप



अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, मेडिकल डिवाइस, उनसे जुड़े कच्चे माल आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां



निरंतर चलने वाली उत्पादन इकाइयां और उनकी आपूर्ति श्रृंखला



आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण; जूट उद्योग; पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां



निर्माण गतिविधियों में इन-सीटू निर्माण; नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण

# लॉकडाउन 3.0 रेड ज़ोन में दुकानों को अनुमति (4/5)

4 मई से प्रभावी

\*कन्टेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं



रेड ज़ोन



अनुमति



ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को अनुमति

## शहरी क्षेत्र



बाजार और बाजार परिसर में केवल आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को अनुमति;



आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की सभी एकल दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति

## ग्रामीण इलाकों



ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति



लॉकडाउन 3.0

# रेड ज़ोन में शर्तों के साथ कार्यालय में कामकाज को अनुमति (5/5)

4 मई, 2020 से प्रभावी

\*कन्टेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं



रेड ज़ोन



अनुमति



निजी कार्यालय 33% क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं



सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के साथ पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे, शेष 33 % तक कर्मचारी के साथ काम करेंगे



रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, अग्निशमन और आपात सेवाएं, एनआईसी, सीमा शुल्क आदि बिना किसी बंदिशों के काम करते रहेंगे

# लॉकडाउन 3.0 ऑरेंज ज़ोन में स्वीकृत गतिविधियां



4 मई, 2020 से प्रभावी \*कन्टेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं

ऑरेंज ज़ोन



अनुमति

इस ज़ोन में निम्न गतिविधियों को छोड़ शेष सभी की अनुमति



देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियां



बसों का जिला के भीतर और अंतर जिला परिचालन

निम्न गतिविधियों को शर्तों के साथ अनुमति



टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति



चार पहिया वाहनों में ड्राइवर को छोड़ अधिकतम 2 यात्री होंगे और दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर दूसरी सवारी की अनुमति

# लॉकडाउन 3.0 ग्रीन जोन में स्वीकृत गतिविधियां

4 मई, 2020 से प्रभावी



ग्रीन जोन



अनुमति




ऐसे जिले जहां या तो अब तक संक्रमण का कोई भी कन्फर्म मामला नहीं आया है अथवा पिछले 21 दिनों में कोई कन्फर्म मामला सामने नहीं आया है



पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति



50% तक बैठने की क्षमता के साथ तक बसों का संचालन; बस डिपो अपनी 50% क्षमता तक की बसों का परिचालन कर सकते हैं



सामाजिक दूरी का मानदंड और अन्य सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाएगा

# लॉकडाउन 3.0 कार्गो की आवाजाही को अनुमति

4 मई, 2020 से प्रभावी

\*कन्टेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं



रेड ज़ोन



ऑरेंज ज़ोन



ग्रीन ज़ोन



सभी वस्तुओं की ढुलाई की अनुमति होगी



कोई भी राज्य / संघशासित प्रदेश, पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा



वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए आवश्यक सामानों की ढुलाई के लिए कोई अलग पास की जरूरत नहीं है




# लॉकडाउन 3.0 सार्वजनिक स्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (1/2)

4 मई, 2020 से प्रभावी



फेस कवर पहनना अनिवार्य है



सार्वजनिक स्थानों के इनचार्ज स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे



किसी भी संगठन को 5 या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं



विवाह संबंधी समारोहों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो और मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो



# लॉकडाउन 3.0 सार्वजनिक स्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2/2)

4 मई, 2020 से प्रभावी



अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो और 20 से अधिक लोग इसमें शामिल न हो



सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध



सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है



शराब, पान, तंबाकू आदि की बिक्री करने वाली दुकानें न्यूनतम 6 फीट (दो गज की दूरी) की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे और अधिकतम 5 व्यक्तियों को ही एकत्र होने देंगे




# लॉकडाउन 3.0 कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (1/3)

4 मई, 2020 से प्रभावी



फेस कवर पहनना अनिवार्य और इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा



स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रभारी कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे



दो शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतराल और अलग-अलग लंच ब्रेक के जरिए कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी



सभी प्रवेश व निकास द्वार और कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाएगा

# लॉकडाउन 3.0 कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2/3)

4 मई, 2020 से प्रभावी



कार्यस्थल की बार-बार सफाई, सामान्य सुविधाएं और मानव संपर्क के सभी बिंदुओं की स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए



निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य है; संगठनों के प्रमुख इस ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे



बड़ी मीटिंग से बचा जाएगा; स्वच्छता के उत्तम तरीकों व आदतों पर गहन संचार और प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा



# लॉकडाउन 3.0 कार्यस्थलों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (3/3)



4 मई, 2020 से प्रभावी



कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले निकटतम अधिकृत अस्पताल / क्लीनिक की सूची कार्यस्थल पर उपलब्ध रहेगी



कोविड-19 के किसी भी लक्षण वाले कर्मचारियों को तुरंत जांच के लिए भेजा जाएगा



रोग के लक्षण वाले कर्मचारियों के आइसोलेशन के लिए क्वारंटाइन एरिया में रखा जाएगा, जब तक कि उन्हें चिकित्सा केंद्रों में सुरक्षित स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है



सामाजिक दूरी के मानदंडों के मुताबिक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए